275

1-

COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R-4038LF/13

राजस्व पुनरीक्षण कमांक – /2013

पुनरीक्षणकर्ता

श्री ... पटेल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता
07 OCT 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

राजाराम गोढ़ वल्द रामाधीन गोढ़
निवासी – खलबाड़ा बाजार,कैमोर ,तहसील – बिजराघवगढ़,
जिला – कटनी (म.प्र.) द्वारा अधिकार पत्र ग्राहिता सेख अब्बास
वल्द खान मुहम्मद,निवास –खलबाड़ा बाजार,कैमोर ,तहसील –
बिजराघवगढ़ जिला – कटनी (म.प्र.)

विरूद्ध

गैरपुनरीक्षणकर्तागण

1 दि.एसोसिएट्स सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड,मुम्बई ब्रांच कैमोर, द्वारा मैनेजर फाइंनेस,एस.एम.सुब्रमण्यम,निवासी– ए.सी.सी. कालोनी , कैमोर,जिला कटनी (म.प्र.)
2 कशीरा कोल वल्द मंगल उर्फ मंगलिया कोल।
3 सखिया कोल वल्द मंगल उर्फ मंगलिया कोल।
4 फुसला कोल वल्द मंगल उर्फ मंगलिया कोल।
5 चरकी कोल बेबा स्व. मंगल उर्फ मंगलिया कोल।
सभी निवासी– ग्राम बढ़ारी,तहसील बिजराघवगढ़,जिला कटनी (म.प्र.)

284

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता– 1959

11/11/13

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर द्वारा द्वितीय राजस्व अपील कमांक 349/अ–6/2009–10,पक्षकार राजाराम गोढ़ विरूद्ध दि. एसोसिएट्स सीमेन्ट कम्पनी एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 07/08/2013 जो मूल न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय,विजराघवगढ़,जिला कटनी के द्वारा नामातंरण पंजी. दिनांक 09/03/2005 से उत्पन्न हुआ से व्यथित होकर प्रस्तुत कर रहा हैं।

पुनरीक्षण के तथ्य

1 यह कि पुनरीक्षणकर्ता मूल विचारण न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय विजराघवगढ जिला कटनी के ग्राम बड़ारी नं. बं. 17 ,प.ह.नं. 10 ,रा.नि.म. विजराघवगढ़ ,खसरा नं. कमशः 412/1–त एवं 412/1–थ रकवा 0.141 हैक्टेयर भूमि मंगल उर्फ मंगलिया कोल वल्द फदाली कोल से पंजीकृत बैनामा दिनांक 31/01/1983 के जरिये कय करके मालिक,स्वामी एवं कब्जाधारी बना था। तथा तात्कालिक हल्का पटवारी द्वारा ग्राम बड़ारी की संशोधन पंजी वर्ष 1983 को संशोधन कमांक 405 में दिनांक 01/04/1983 को संशोधन दर्ज कर नामातंरण कर दिया गया था। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेखों में पुनरीक्षणकर्ता का नाम दर्ज नही किया गया,जो पटवारी का वैधानिक दायित्व व कर्तव्य था।

..........2

R-4058-II/13 (कटनी)

26-10-16	आवेदक व 1 श्री ओ से श्री आर एस सोनी अधि० उपस्थित। आवेदक को समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	24/10 26/10/1 Noted 24/10 Assam M.H.A. 26/10/20 (हस्ताक्षर)

[कृ. प. उ.